महत्वपूर्ण

संख्याः 4887-94/23(12)–दो/2013

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चमोली/पौड़ी/उत्तरकाशी/हरिद्वार।

आकस्मिक निरीक्षण

दिनांक 24 अक्टूबर, 2013

विषय – **दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को विद्यालयों में किये गये आकस्मिक निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्यक्त विषयक महानिदेशालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को राज्य के विद्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण चलाया गया। निरीक्षण में दौरान 06 विद्यालयों (03 चमोली व 1–1 पौड़ी, उत्तरकाशी व हरिद्वार) में मिड–डे–मिल नहीं बनाया जा रहा है, जबकि मध्याह्न भोजन प्रत्येक विद्यालय में बनाया जाना अनिवार्य है।

उक्त सम्बन्ध में तत्काल स्पष्ट करें कि उक्त विद्यालयों में किस वजह से मध्याह्न भोजन नहीं बनाया जा रहा था। इस हेतु लापरवाही/दोषी के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही की गई कार्यवाही की सूचना निम्न प्रारूप पर **एक सप्ताह के अन्दर** महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	मध्याह्न भोजन न बनने का कारण	लापरवाही/दोषी के विरूद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4

भवदीय

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं. : 4887-94 /23(12)–दो/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :–

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल।
4. संयुक्त निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

संख्याः 4895/23(12)–दो/2013

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
पिथौरागढ़/बागेश्वर/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग।

आकस्मिक निरीक्षण

दिनांक 24 अक्टूबर, 2013

विषय – **विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्यक्त विषयक महानिदेशालय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को राज्य के विद्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण चलाया गया, जिसके कम में राज्य के लगभग 1140 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। अधिकतर जनपदों द्वारा 50–100 से ज्यादा विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, किन्तु आपके द्वारा अति न्यून (रूद्रप्रयाग–33, उत्तरकाशी–21, पिथौरागढ़–10 व बागेश्वर–18) विद्यालयों का ही निरीक्षण किया गया, जबकि निरीक्षण हेतु जनपदों में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ही खण्ड स्तरीय अधिकारी भी उपलब्ध है। फिर भी अति न्यून विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना अत्यन्त खेदजनक है।

अतः विद्यालयों के न्यून निरीक्षण पर <u>एक सप्ताह के अन्दर</u> अपना स्पष्टीकरण निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं. : 4895-4902/23(12)–दो/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

संख्याः 4903-12/23(12)–दो/2013

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल।

आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 24 अक्टूबर, 2013

विषय – **विद्यालयों में किये गये आकस्मिक निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्यक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या/4826–43/23(12)–दो/2013 दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को राज्य के विद्यालयों में चलाये गये आकस्मिक निरीक्षण के उपरान्त मण्डल से प्राप्त सूचना के आधार पर निरीक्षण के दौरान 02 शिक्षक बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित शिक्षकों के विरूद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 तथा संशोधन नियमावली–2010 में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही करने तथा जो 143 शिक्षक शासकीय कार्य से अन्यत्र थे, के सम्बन्ध में सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारियों से प्रमाणित करवाने कि वे निरीक्षण दिवस को शासकीय कार्य से अन्यत्र कहां पर थे, की सूचना महानिदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। किन्तु आपके द्वारा दिनांक 22 व 23 अक्टूबर, 2013 को उक्त निरीक्षण की उपलब्ध कराई गई संशोधित सूचना के उपरान्त बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित अध्यापकों की संख्या 21 व शासकीय कार्य पर अन्यत्र गये अध्यापकों की संख्या 191 हो गई है।

अतः इन सभी शिक्षकों के सम्बन्ध में उक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये **तत्काल महानिदेशालय** को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं. :4903-12/23(12)–दो/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल को उक्तानुसार अनुपालनार्थ।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड